5

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तुसारी बनाम बाबू S/o फैली जाटव

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/31/2018 निर्णय दिनांक :- 25/2/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम तुसारी की आ.ख.नं. 454 कुल रकबा 1.08 किस्म जरीब गैरमुमकिन मरघट में से 0.01 रकबे पर श्री बाबू S/o फैली जाटव पुत्र अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तुसारी द्वारा दिनांक 1.2.6.2018 को उसके विरूद्ध यथाभूमी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. कठूमर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी बाबू S/o फैली जाटव जाति जाटव निवासी तुसारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ..... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.नं. 454 रकबा 1.08 में से 0-01 रकबे किस्म गैरमुमकिन मरघट के निस्तार के काम आने से जिसका गैरमुमकिन का अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाने के मद्दे नजर स्वरूप बनाम 63 Paise का 50 गुणा 32/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गोया कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी तुसारी भू.अ.निरी. कठूमर को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर (अलवर) राज.
कठूमर, अलवर (राज.)

अतिरिक्त भू.रा. के पृष्ठ सं. 16 क्रम सं. 12
वर्ष 2018-19 राशि 32/-
में कायमी की गई

11/3/19
तहसीलदार
कठूमर